निग/2822/II-15

(102)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर॥

पुनरीक्षण प्र0क्र0/ /015

327

267
17.7.15

सरपंच ग्राम पंचायत सलैया रूस्तम थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा

॥म0प्र0॥ द्वारा सरपंच राधा देवी

आवेदिका

बनाम

01-. रामकरण यादव तनय सुमेश्वर यादव निवासी ग्राम सलैया थाना व

तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0॥

2- म.प्र. राज्य

----- अनावेदक

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 17-7-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी, तह0मऊगंज, जिला रीवा दिनांक 19.05.015 जो प्रकरण क्र0 80-अ-19॥3॥/13-14 में पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुतहै :-

॥01॥ अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 19.05.015 जिसके द्वारा तहसीलदार, तहसील मऊगंज, के राजस्व प्र0क्र0 63-ए/19॥3॥/89-90 में पारित आदेश दिनांक 02.07.90 के विरूद्व दायर अपील के ग्राह्य न होने संबंधी अना0 की आपत्ति को स्वीकार करके संक्षिप्ततः निरस्त कीगई है, सर्वथा विधि विधानके प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

॥02॥ यदि किसी आदेश के विरूद्व दायर अपील ग्राह्य न होने का निष्कर्ष हो और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बिन्दु निहित हो तो उस अपील प्रकरण के अस्वीकार ॥ रिजेक्ट ॥ करने की भी अधिकारिता ॥ Jurisdiction ॥ न्यायालय को नही होती, और न्यायालय को अपील

निरंतर...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R2822-II /15 जिला—रीवा

सरपंच सलैया/ रामकरण यादव

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 80/अ 19(3)/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	